उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

परिपत्र सं0-सी- 42/तक0प्रकोष्ठ/2017-18 दिनांक- 17.08.2017

समस्त प्रबन्धक श्रेणी-1/ प्रबन्धक श्रेणी-2
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-डेयरी उद्यमिता विकास योजना।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-सी-93 दिनॉक 27.12.2010 के द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना चालू की गई है। उक्त योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है एवं वित्त पोषण व अनुदान नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त होता है। डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत सामान्य जाति के कृषकों को योजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम प्रति पशु के लिए 12500/- एवं अधिकतम 10 भैंसों के लिए 1,25,000/-), अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को 33.33 प्रतिशत (अधिकतम प्रति पशु के लिए 16650/- एवं अधिकतम 10 भैंसों के लिए 1,66,500/-) अनुदान देय होता है। समय-समय पर सामान्य वर्ग के लिए भी यह योजना चालू की जाती रही है। वर्तमान समय में प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी-27, दिनॉक 16.06.2017 के द्वारा समस्त शाखा प्रबन्धकों को अवगत कराया गया है कि यह योजना सामान्य कृषकों के लिये पुनः शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत परिवर्तित नियमों के अनुसार सामान्य जाति के कृषकों को योजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम प्रति पशु के लिए 15000/- एवं अधिकतम 10 भैंसों के लिए 1,50,000/-), अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को 33.33 प्रतिशत (अधिकतम प्रति पशु के लिए 20,000/- एवं अधिकतम 10 भैंसों के लिए 2,00,000/-) अनुदान देय है।

उपरोक्त योजना वर्ष 2010-11 से शुरू की गई थी किन्तु विगत पॉच वर्षों की समीक्षा करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा समस्त योजनाओं में कुल 2,05,070 कृषकों को 1944.23 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है जिसमें से डेयरी योजनान्तर्गत (डेयरी की समस्त योजनाओं को सम्मिलित करते हुए) 44538 कृषकों को कुल मु0 566.99 करोड़ रूपये का ऋण-वितरण किया गया है जिसमें से डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डी0ई0डी0एस0) के अर्न्तगत 607 कृषकों हेतु केवल 30 शाखाओं द्वारा 1.925 करोड़ रूपये के अनुदान का लाभ प्राप्त किया गया है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि शाखा प्रबन्धकों द्वारा इस योजना के ऋण वितरण में रूचि नहीं ली जा रही है। उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा किये गये कुल ऋण वितरण में से औसतन 29 प्रतिशत ऋण वितरण डेयरी योजनान्तर्गत किया जा रहा है जिसमें से मात्र 21 प्रतिशत लाभार्थियों का आच्छादन डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत किया गया है। यदि शाखा प्रबन्धक द्वारा समस्त कृषकों को डी0ई0डी0एस0 योजना से लाभन्वित किया जाता है तो कृषकों को अनुदान का लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ बैंक को भी व्यवसाय वृद्वि के साथ-साथ वसूली सुदृढ़ करने में सहायता होगी।

इसी क्रम में नाबार्ड सन्दर्भ संख्या-रावैं(पुनर्वित्त)/जीएमएस/1664/डीईएस-1/2017-18 दि0 14.07.17 कार्यालय परिपत्र सं0-174/पुवि-39/2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि नाबार्ड द्वारा अनुदानित योजनाओं में प्रदेश में सूखे से पीड़ित, बाढ़, नक्सल और आतंकवाद से प्रभावित जिलों को वरीयता देने के साथ-साथ डीईडीएस योजना के अधीन छोटे और सीमान्त किसानों, गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लाभार्थियों को वरीयता दिए जाने हेतु सुनिश्चित किया जाये।

अतः उक्त क्रम में पुनः समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिक से अधिक कृषकों को इस योजना से आच्छादित करें तथा योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित पूर्व में प्रेषित निर्देशों का अनुपालन करते हुए समय से व पूर्ण सूचना तकनीकी अनुभाग में प्रेषित करें।

ह0/-

(के0पी0सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रॉंकः सी-42/तकनीकीप्रकोष्ठ/17-18 दिनॉंक :17.08.2017

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-1 व श्रेणी-2,उ0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र की प्रतियॉं अपने अधीनस्थ समस्त स्टाफ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मण्डल प्रभारी,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान-कार्यालय,लखनऊ को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
3. सहायक महाप्रबन्धक(प्रशिक्षण),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण-केन्द्र,लखनऊ को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान-कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को प्रदेश की समस्त शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)

महाप्रबन्धक(तकनीकी)